2025/281
Locms

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– सुनीलकुमार चौहान, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 64/2022
जीसीएमएस सं0 2022/272

विकासकुमार बनाम बाधुदेवी आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–6 नियम–17

एवं सपठित धारा 151 सीपीसी

–:: निर्णय ::– दिनांक : – 17.09.2025

उक्त अनवानी प्रकरण में प्रार्थी/वादी की ओर से वकील ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–6 नियम–17 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वादपत्र में आज की तारीख पेशी मुकर्रर है। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र माननीय न्यायालय में जैरकार है दौराने वादपत्र प्रतिवादी सं0 1 बाधुदेवी की मृत्यु हो चुकी है इसलिए वादपत्र में वर्णित रकबा में जो बाधुदेवी प्रतिवादिया के नाम से रकबा था वह प्रतिवादी सं0 2 राधेश्याम व 2 लालचन्द में बतौर वारिसान निहित हो चुका है इसलिए प्रतिवादी सं0 2 व 3 को जो प्रतिवादी सं0 1 की जीवनकाल में हिस्सा 1/3 बनता था अब प्रतिवादी सं0 2 व 3 का 1/2–1/2 हिस्सा बराबर–बराबर बनता है इसलिए वादी का अपने पिता प्रतिवादी सं0 3 लालचन्द के 1/2 हिस्से में से 1/4 हिस्सा निहित हो चुका है। वादी के अनुतोष की मद सं0 क में संशोधन कर चक 6 एमजीएम के प0 नं0 55/47 मु0 नं0 73 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.325 है0 कमाण्ड व इसी चक के प0 नं0 55/48 मु0 नं0 74 के किला नं0 1 ता 15 की कुल 3.795 है0 भूमि में से वादी के पिता प्रतिवादी सं0 3 के 1/2 हिस्सा में से अपना 1/4 हिस्से की घोषणा बाबत् संशोधित कर पढ़ा जावे। इसी प्रकार अनुतोष की मद सं0 ख में प्रतिवदी सं0 3 के 1/2 हिस्सा में से वादी के 1/4 हिस्सा संशोधित कर पढ़ा जावे। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि जहां–जहां प्रतिवादी सं0 3 का समस्त रकबा में 1/3 हिस्सा दर्ज है वहां प्रतिवादी सं0 3 का 1/2 हिस्सा पढ़ा जाकर वादी का प्रतिवदी सं0 3 के 1/2 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा पढ़े जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति वकील प्रतिवादी को दी गई। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ना करते हुए बहस का निवेदन किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा अपने प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रा0 पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया। वकील प्रतिवादी/अप्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रा0 पत्र का विरोध ना करते हुए प्रा0 पत्र स्वीकार करने में किसी प्रकार का एतराज नहीं होना जाहिर किया।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं0 1 बाबूदेवी की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादी सं0 2 व 3 उसके जायज वारिसान है। जिससे विवादित भूमि में प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 व 3 में ही समायोजित होना है। अतः प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–6 नियम–17 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/वादी को निर्देशित किया जाता है कि वह संशोधित वाद शीर्षक के वाद संशोधित वादपत्र पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 17.09.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीलकुमार चौहान)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना